प्रेस नोट
दिनांक 24.06.2026

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल, घर–घर पहुंचकर 160 वरिष्ठ नागरिको की समस्याएं सुनकर किया गया निस्तारण–

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट बनायी गयी है जो नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का 02 विशेष वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार, शानिवार) पर वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी कुशलक्षेम जानी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सी०पी०यू० टीमों को निर्देशित किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई करें। उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.06.2026 को जनपदीय सीपीयू टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 160 वरिष्ठ नागरिकों से उनके आवास पर पहुंचकर संपर्क स्थापित किया गया। इनमें थाना कोतवाली नगर के 05, को0 देहात के 08, खरगूपुर के 05, इटियाथोक के 11, धानेपुर के 05, मोतीगंज के 10, मनकापुर के 18, छपिया के 17, खोड़ारे के 08, तरबगंज के 03, थाना उमरीबेगमगंज के 09, वजीरगंज के 12, नवाबगंज के 06, को0 कर्नलगंज के 05, कौड़िया के 08, परसपुर के 07, कटराबाजार के 20 तथा महिला थाना के 03 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। संपर्क अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का कुशलक्षेम जाना गया, तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस की इस जनहितकारी एवं संवेदनशील पहल की वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सराहना की गई तथा उन्होंने पुलिस के प्रति अपना विश्वास एवं संतोष व्यक्त किया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 24.06.2026</u>

<u>थाना धानेपुर पुलिस द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुघर्टना करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद –</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–225/2026 धारा 281,106(1),125(ए),125(बी) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– मानवेन्द्र कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम गजू थाना राया जनपद मथुरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 20.06.2026 को वादी रामसजीवन पुत्र स्व० मिश्रीलाल निवासी ग्राम बेंचूपुरवा, मौजा रामपुर दुबावल, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 20.06.2026 को प्रातः लगभग 05:00 बजे से 06:00 बजे के मध्य उसके चचेरे भाई सन्तोषी लाल पुत्र स्व० छेदीलाल अपनी पत्नी महारानी एवं नाती कार्तिक को साइकिल पर बैठाकर रिश्तेदारी से अपने घर वापस आ रहे थे। ग्राम बेलवार पुरवा से उतरौला मार्ग होते हुए धानेपुर बाजार के पास पहुँचने पर गोण्डा की तरफ से आ रहे एक अज्ञात चार पहिया वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उनकी साइकिल में टक्कर मार दी गयी। दुर्घटना में सन्तोषी लाल, उनकी पत्नी महारानी तथा नाती कार्तिक को गंभीर चोटें आयीं। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी मुजेहना ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के उपरान्त जिला अस्पताल गोण्डा रेफर किया गया। सन्तोषी लाल की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर उपचार हेतु लखनऊ रेफर किया गया, किन्तु लखनऊ ले जाते समय रास्ते में बाराबंकी के निकट उनकी मृत्यु हो गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना धानेपुर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त– मानवेन्द्र कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम गजू थाना राया जनपद मथुरा को जनपद मथुरा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता–</u>

01. मानवेन्द्र कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम गजू थाना राया जनपद मथुरा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–225/2026 धारा 281,106(1),125(ए), 125(बी) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 सरफराज खां मय हमराह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>